न्यायालय : आशीष प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.)

::: कार्य विभाजन/वितरण आदेश वर्ष 2020 :::

आदेश दिनांक 01.06.2020

मैं आशीष प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंदसौर न्यायिक जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट्स के मध्य आपराधिक प्रकरणों एवं अनुषांगिक कार्य के निष्पादन के संबंध में निम्नांकित क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित करते हुए पूर्व के समस्त कार्य विभाजन पत्रक एवं संशोधन पत्रकों को निरसित करते हुये यह नवीन कार्य विभाजन आदेश प्रसारित करता हूँ, जो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला एव सत्र न्यायाधीश, मंदसौर के अनुमोदन उपरांत **तत्काल** प्रभावशील होकर, आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

अ.क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	क्षेत्राधिकार एवं साधारण कार्य क्षेत्र	आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्य जिनका वितरण होगा
1	**2**	**3**	**4**
1	आशीष प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर	3(अ) आरक्षी केंद्र– शहर कोतवाली, दलौदा एवं यातायात	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में अंकित थाना क्षेत्रों से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम तथा कंडिका 2 (3) में उल्लेखित किये गये महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधो को छोड़कर) खात्मा प्रतिवेदन। 2. नगर पालिका अधिनियम के अधीन प्रस्तुत प्रकरण एवं अपीलें।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– (1) शहर कोतवाली, (2) भावगढ़, (3) वाई.डी.नगर, (4) अफजलपुर, (5) नई आबादी, (6) नाहरगढ़ (मंदसौर तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत (7) दलौदा (8) आबकारी वृत्त पूर्व एवं पश्चिम, मंदसौर	3. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों/आबकारी वृत्त से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
		3(स) संपूर्ण जिला – मंदसौर	4. स्तंभ कमांक 3(स) में अंकित संपूर्ण जिला मंदसौर के क्षेत्राधिकारांतर्गत में – 1. चलित न्यायालय। 2. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। 3. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियॉं। 4. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित परिवाद/आपराधिक प्रकरण। 5. ऐसे समस्त अधिनियम/कार्यवाहियां, जिसमें विचारण का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को हो। 6. धारा 306 द.प्र.सं. के अधीन अभियुक्तों के वायदामाफी के प्रकरण तथा दो वर्ष या इससे अधिक दोषसिद्धि वाले अभियुक्तों से संबंधित प्रकरण। 7. अल्प मात्रा के एन.डी.पी.एस.एक्ट से संबंधित प्रकरण। 8. संपूर्ण जिला क्षेत्राधिकारितार्तगत के खारजी प्रतिवेदन। 9. वे समस्त प्रकरण/कार्यवाहियों, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन/वितरण आदेश में नहीं है अथवा इस आदेश द्वारा किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जिन प्रकरण/कार्यवाहियों के विचारण/सुनवाई हेतु अधिकृत नहीं

			किया गया हो।
		3(द) मंदसौर एवं दलोदा तहसील क्षेत्र एवं आरक्षी केंद्र नाहरगढ़ (मंदसौर तहसील क्षेत्राराधिकांतर्गत)	5. स्तंभ कमांक 3(द) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– 1. श्रम निरीक्षकों/विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण 2. नाप–तौल निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 3. खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। 4. कारखाना निरीक्षकों द्वारा कारखाना अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण।
2	श्रीमती मंजू सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	3(अ) आरक्षी केंद्र– नई आबादी	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में अंकित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। *(ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर)* *2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।*
		3(ब) आरक्षी केंद्र– (1) शहर कोतवाली, (2) भावगढ़, (3) वाई.डी.नगर, (4) अफजलपुर, (5) नई आबादी*, (6) नाहरगढ़ (मंदसौर तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत (7) दलौदा	3. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – 1. महिलाओं के विरूद्ध किये गये ऐसे अपराधों के प्रकरण, जिनके विचारण संबंधी अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय में निहित है, को छोड़कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराध से उद्भूत होने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 354, 354(अ), 354(ब), 354(स), 354(द), 493, 498, 498–ए एवं 509 के प्रकरण। 2. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। 3. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। 4. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। 5. ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध। नोट :– *आरक्षी केंद्र नई आबादी के समस्त आपराधिक प्रकरणों संबंधी क्षेत्राधिकारिता कंडिका कमांक 2 के न्यायिक अधिकारी को दिये जाने से उक्त आरक्षी केंद्र के सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरण उनके न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।
		3(स) आरक्षी केंद्र– (1) शहर कोतवाली, (2) भावगढ़, (3) वाई.डी.नगर, (4) अफजलपुर, (5) नई आबादी, (6) नाहरगढ़ (मंदसौर तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत (7) दलौदा	4. स्तंभ कमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न – पराक्म्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 2,00,001 से 2,50,000 तक) की राशि के परिवाद।
		3(द) आरक्षी केंद्र– नई आबादी	5. स्तम्भ कमांक 3 (द) में अंकित थाना क्षेत्र में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।
3	श्री आलोक प्रताप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	3(अ) आरक्षी केंद्र– वाई.डी.नगर	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (कंडिका 2 (3) में उल्लेखित किये गये महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम

	मंदसौर		न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– (1) शहर कोतवाली, (2) भावगढ़, (3) वाई.डी.नगर, (4) अफजलपुर, (5) नई आबादी, (6) नाहरगढ़ (मंदसौर तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत (7) दलौदा	3. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– पराक्म्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 2,50,001 से अधिक) की राशि के परिवाद।
		3(स) आरक्षी केंद्र– वाई.डी.नगर एवं दलौदा	4. स्तम्भ कमांक 3 (स) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।
3-A	श्री आलोक प्रताप सिंह, न्यायाधिकारी, ग्राम–न्यायालय, मंदसौर	3(अ) तहसील मंदसौर व तहसील दलौदा के अंतर्गत आने वाले थाना क्षेत्र से संबंधित ग्राम न्यायालय में सुनवाई योग्य प्रकरण (नगर पालिका सीमा को छोड़कर)	स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्रों में – 1. राजस्व तहसील, मंदसौर व दलौदा के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 12 की अनुसूची–1 के भाग–1 एवं भाग–2 के अंतर्गत दर्शाये गये आपराधिक प्रकरण एवं सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण। 2. ग्राम न्यायालय में प्रस्तुत दं.प्र.सं. की धारा 125 एवं 127 के आवेदन पत्र तथा उनसे संबंधित प्रवर्तन प्रकरण एवं तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 3. ग्राम न्यायालय के पूर्व में फरार घोषित किये गये अभियुक्त से संबद्ध प्रकरण/कार्यवाहियां।
4	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी., मंदसौर	3(अ) आरक्षी केंद्र– अफजलपुर	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (कंडिका 2 (3) में उल्लेखित किये गये महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) 2 सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– (1) शहर कोतवाली, (2) भावगढ़, (3) वाई.डी.नगर, (4) अफजलपुर, (5) नई आबादी, (6) नाहरगढ़ (मंदसौर तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत) (7) दलौदा	3. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– पराक्म्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 1,50,001 से 2,00,000 तक) की राशि के परिवाद।
		3(स) आरक्षी केंद्र– अफजलपुर	4. स्तम्भ कमांक 3 (स) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।
5	श्री समीर कुमार मिश्र, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी., मंदसौर	3(अ) आरक्षी केंद्र भावगढ़	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (कंडिका 2 (3) में उल्लेखित किये गये महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) 2 सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।

		3(ब) आरक्षी केंद्र– (1) शहर कोतवाली, (2) भावगढ़, (3) वाई.डी.नगर, (4) अफजलपुर, (5) नई आबादी, (6) नाहरगढ़ (मंदसौर तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत (7) दलौदा	3. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 1,00,001 से 1,50,000 तक) की राशि के परिवाद।
		3(स) आरक्षी केंद्र– (1) शहर कोतवाली, (2) भावगढ़, (3) वाई.डी.नगर, (4) अफजलपुर, (5) नई आबादी, (6) नाहरगढ़ (मंदसौर तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत (7) दलौदा	स्तंभ कमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– 4. वन्य विधि (Forest Laws) एवं खनिज अधिनियम (Mining Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।
		3(द) आरक्षी केंद्र भावगढ एवं शहर कोतवाली	5. स्तम्भ कमांक 3 (द) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।
6	श्री सुशील गेहलोत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	––	1 सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– (1) शहर कोतवाली, (2) भावगढ़, (3) वाई.डी.नगर, (4) अफजलपुर, (5) नई आबादी, (6) नाहरगढ़ (मंदसौर तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत (7) दलौदा	3. स्तंभ कमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 50,001 से 1,00,000 तक) की राशि के परिवाद।
7	श्रीमती निर्मला वास्कले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.मंदसौर	7(अ) आरक्षी केंद्र नाहरगढ़ (मंदसौर तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (कंडिका 2 (3) में उल्लेखित किये गये महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) 2· सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– (1) शहर कोतवाली, (2) भावगढ़, (3) वाई.डी.नगर, (4) अफजलपुर, (5) नई आबादी, (6) नाहरगढ़ (मंदसौर तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत (7) दलौदा	3. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 01 से 50,000 तक) की राशि के परिवाद।
		3(स) आरक्षी केंद्र– नाहरगढ़ (मंदसौर तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	स. स्तम्भ कमांक 3 (स) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176

			के अधीन मृत्यु जांच।
8	सुश्री देशना जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, मंदसौर	––	सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
9	सुश्री वैशाली पटेलिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, मंदसौर	––	सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
10	श्री वीरेंद्र जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामउ	3(अ) आरक्षी केंद्र– सीतामउ एवं नाहरगढ़ (सीतामउ तह.क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (कंडिका 11 (3) में उल्लेखित किये गये महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोडकर)
		3(ब) आरक्षी केंद्र– सीतामउ, सुवासरा, नाहरगढ़ (सीतामउ तह.क्षेत्राधिकारांतर्गत) तथा आबकारी वृत्त सीतामउ एवं सुवासरा	3. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों/आबकारी वृत्त से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
		3(स) आरक्षी केंद्र– सीतामउ, सुवासरा एवं नाहरगढ़ (सीतामउ तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	4. स्तंभ कमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 1 से 2,50,000 तक) की राशि के परिवाद।
		3(द) आरक्षी केंद्र– सीतामउ, सुवासरा एवं नाहरगढ़ (सीतामउ तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	स्तंभ कमांक 3(द) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– 5. श्रम निरीक्षक/विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 6. नाप–तौल निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 7. खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। 8. कारखाना निरीक्षकों द्वारा कारखाना अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। 9. वन्य विधि (Forest Laws) एवं खनिज अधिनियम (Mining Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।
		3(इ) आरक्षी केंद्र– सीतामउ एवं नाहरगढ़ (सीतामउ तह.क्षेत्राधिकारांतर्गत)	3. स्तम्भ कमांक 3 (इ) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।
11	श्री दिलीप सिंह परमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी., सीतामऊ	3(अ) आरक्षी केंद्र– सुवासरा	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में अंकित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य एवं संज्ञेय अपराधों को छोड़कर) 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र सीतामउ, सुवासरा* एवं नाहरगढ़ (सीतामउ तह.क्षेत्राधिकारांतर्गत)	3. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – 1. महिलाओं के विरूद्ध किये गये ऐसे अपराधों के प्रकरण, जिनके विचारण संबंधी अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय में निहित है, को छोड़कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय महिलाओं के विरूद्ध

			किये गये अपराध से उद्भूत होने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 354, 354(अ), 354(ब), 354(स), 354(द), 493, 498, 498–ए एवं 509 के प्रकरण। 2. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। 3. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। 4. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। 5. दंड प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत होने वाले भरण पोषण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु प्रस्तुत आवेदन। 6. ऐसे खात्मा प्रकरण, जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध। नोट :– *आरक्षी केंद्र सुवासरा के समस्त आपराधिक प्रकरणों संबंधी क्षेत्राधिकारिता कंडिका कमांक 11 के न्यायिक अधिकारी को दिये जाने से उक्त आरक्षी केंद्र के सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरण उनके न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।
		3(स) आरक्षी केंद्र– सीतामउ, सुवासरा एवं नाहरगढ़ (सीतामउ तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	7. स्तंभ कमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 2,50,001 से अधिक) राशि के परिवाद।
		3(द) आरक्षी केंद्र– सुवासरा	8. स्तम्भ कमांक 3 (द) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।
12	श्री कमलेश भरकुदिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी., गरोठ	3(अ) आरक्षी केंद्र– गरोठ	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य एवं संज्ञेय अपराधों को छोड़कर) 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– गरोठ, शामगढ़ एवं जी.आर.पी. शामगढ़	3. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – 1. महिलाओं के विरूद्ध किये गये ऐसे अपराधों के प्रकरण, जिनके विचारण संबंधी अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय में निहित है, को छोड़कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराध से उद्भूत होने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 354, 354(अ), 354(ब), 354(स), 354(द), 493, 498, 498–ए एवं 509 के प्रकरण। 2. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। 3. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। 4. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। 5. दंड प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत होने वाले भरण पोषण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु प्रस्तुत आवेदन।

			6. ऐसे खात्मा प्रकरण, जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध। नोट :– *आरक्षी केंद्र गरोठ के समस्त आपराधिक प्रकरणों संबंधी क्षेत्राधिकारिता कंडिका कमांक 12 के न्यायिक अधिकारी को दिये जाने से उक्त आरक्षी केंद्र के सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरण उनके न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।
		3(स) आरक्षी केंद्र– गरोठ, शामगढ़ एवं जी.आर.पी. शामगढ तथा तथा आबकारी वृत्त–गरोठ	7. स्तंभ कमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों/आबकारी वृत्त से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
		3(द) आरक्षी केंद्र– गरोठ, शामगढ़	8. स्तंभ कमांक 3(द) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रो के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 2,50,001 से अधिक) राशि के परिवाद।
		3(इ) आरक्षी केंद्र– गरोठ, शामगढ़ एवं जी.आर.पी. शामगढ	स्तंभ कमांक 3(इ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– 9. श्रम निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 10. नाप–तौल निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 11. खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। 12. कारखाना निरीक्षकों द्वारा कारखाना अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। 13. वन्य विधि (Forest Laws) एवं खनिज अधिनियम (Mining Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।
		3(ई) आरक्षी केंद्र– गरोठ	14. स्तम्भ कमांक 3 (ई) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।
12-A	श्री कमलेश भरकुंदिया, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, गरोठ	3(अ) तहसील गरोठ व शामगढ	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में अंकित राजस्व तहसील, गरोठ व शामगढ के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 12 की अनुसूची–1 के भाग–1 एवं भाग–2 के अंतर्गत दर्शाये गये आपराधिक प्रकरण एवं सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण। 2. ग्राम न्यायालय में प्रस्तुत दं.प्र.सं. की धारा 125 एवं 127 के आवेदन पत्र तथा उनसे संबंधित प्रवर्तन प्रकरण एवं तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 3. ग्राम न्यायालय के पूर्व में फरार घोषित किये गये अभियुक्त से संबद्ध प्रकरण/कार्यवाहियां।
13	श्री मेहताब सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गरोठ	3 (अ) आरक्षी केंद्र शामगढ़ एवं जी.आर. पी. शामगढ़	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (कंडिका 12 (3) में उल्लेखित किये गये महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– गरोठ, शामगढ़	3. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 1 से 2,50,000 तक) की राशि के परिवाद।
		3(स) आरक्षी केंद्र– शामगढ़ एवं जी.आर.	4. स्तम्भ कमांक 3 (स) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में

		पी. शामगढ़	निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।
14	श्री लक्ष्मण डोडवे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भानपुरा	3(अ) आरक्षी केंद्र– भानपुरा एवं गांधीसागर	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य एवं संज्ञेय अपराधों को छोड़कर) 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र– भानपुरा* एवं गांधीसागर*	3. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – 1. महिलाओं के विरूद्ध किये गये ऐसे अपराधों के प्रकरण, जिनके विचारण संबंधी अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय में निहित है, को छोड़कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराध से उद्भूत होने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 354, 354(अ), 354(ब), 354(स), 354(द), 493, 498, 498–ए एवं 509 के प्रकरण। 2. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। 3. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। 4. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। 5. दंड प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत होने वाले भरण पोषण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु प्रस्तुत आवेदन। 6. ऐसे खात्मा प्रकरण, जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध। नोट :– *आरक्षी केंद्र भानपुरा एवं गांधीसागर के समस्त आपराधिक प्रकरणों संबंधी क्षेत्राधिकारिता कंडिका कमांक 14 के न्यायिक अधिकारी को दिये जाने से उक्त आरक्षी केंद्र के सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरण उनके न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।
		3(स) आरक्षी केंद्र– भानपुरा एवं गांधीसागर तथा आबकारी वृत्त– भानपुरा	5. स्तंभ कमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों/आबकारी वृत्त से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
		3(द) तहसील– भानपुरा एवं गांधीसागर	6. स्तंभ कमांक 3(द) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन प्रस्तुत परिवाद।
		3(इ) आरक्षी केंद्र– भानपुरा एवं गांधीसागर	7. स्तंभ कमांक 3(इ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– 8. श्रम निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 9. नाप–तौल निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 10. खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। 11. कारखाना निरीक्षकों द्वारा कारखाना अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। 12. वन्य विधि (Forest Laws) एवं खनिज अधिनियम (Mining Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।
		3 (ई) आरक्षी केंद्र– भानपुरा एवं गांधीसागर	13. स्तम्भ कमांक 3 (ई) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176

			के अधीन मृत्यु जांच।
15	श्री संतोष बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ़	3(अ) आरक्षी केंद्र– नारायणगढ़, नाहरगढ़ (मल्हारगढ़ तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (कंडिका 16 (3) में उल्लेखित किये गये महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र–नारायणगढ़, मल्हारगढ़, पिपलिया मंडी एवं नाहरगढ़ (मल्हारगढ़ तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत) तथा आबकारी वृत्त मल्हारगढ़	3. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों/आबकारी वृत्त से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
		3(स) आरक्षी केंद्र–नारायणगढ़, मल्हारगढ़, पिपलिया मंडी एवं नाहरगढ़ (मल्हारगढ़ तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत)	7. स्तंभ कमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 2,00,001 से अधिक) राशि के परिवाद।
		3(द) आरक्षी केंद्र–नारायणगढ़, मल्हारगढ़, पिपलिया मंडी एवं नाहरगढ़ (मल्हारगढ़ तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत)	स्तंभ कमांक 3(द) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– 5. श्रम निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 7. नाप–तौल निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 8. खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। 9. कारखाना निरीक्षकों द्वारा कारखाना अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। 10. आरक्षी केंद्र सीतामउ, सुवासरा एवं नाहरगढ़ (सीतामउ तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत) से उत्पन्न होने वाले वन्य विधि (Forest Laws) एवं खनिज अधिनियम (Mining Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।
		3(इ) आरक्षी केंद्र–नारायणगढ़, मल्हारगढ़, पिपलिया मंडी एवं नाहरगढ़ (मल्हारगढ़ तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत)	3. स्तम्भ कमांक 3 (इ) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।
16	श्री साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.नारायणगढ़	3 (अ) आरक्षी केंद्र– पिपलियामंडी	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य एवं संज्ञेय अपराधों को छोड़कर) 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र–नारायणगढ़, मल्हारगढ़, पिपलिया मंडी* एवं नाहरगढ़ (मल्हारगढ़ तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत)	3. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – 1. महिलाओं के विरूद्ध किये गये ऐसे अपराधों के प्रकरण, जिनके विचारण संबंधी अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय में निहित है, को छोड़कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराध से उद्भूत होने वाले भारतीय दंड संहिता

			की धारा 312, 354, 354(अ), 354(ब), 354(स), 354(द), 493, 498, 498–ए एवं 509 के प्रकरण। 2. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। 3. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। 4. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। 5. दंड प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत होने वाले भरण पोषण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु प्रस्तुत आवेदन। 6. ऐसे खात्मा प्रकरण, जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध। नोट :– *आरक्षी केंद्र पिपलियामंडी के समस्त आपराधिक प्रकरणों संबंधी क्षेत्राधिकारिता कंडिका कमांक 16 के न्यायिक अधिकारी को दिये जाने से उक्त आरक्षी केंद्र के सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरण उनके न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।
		3(स) आरक्षी केंद्र–नारायणगढ़, मल्हारगढ़, पिपलिया मंडी एवं नाहरगढ़ (मल्हारगढ़ तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत)	7. स्तंभ कमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 1,00,001 से 2,00,000 तक) की राशि के परिवाद।
		3(द) आरक्षी केंद्र–नारायणगढ़, मल्हारगढ़, पिपलिया मंडी एवं नाहरगढ़ (मल्हारगढ़ तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत)	3. स्तम्भ कमांक 3 (द) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।
17	श्री ललित कुमार मईडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,. नारायणगढ़	3(अ) आरक्षी केंद्र मल्हारगढ़	1. स्तंभ कमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (कंडिका 16 (3) में उल्लेखित किये गये महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		3(ब) आरक्षी केंद्र पिपलियामंडी, नारायणगढ़, मल्हारगढ एवं नाहरगढ़ (मल्हारगढ़ तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	7. स्तंभ कमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 1 से 1,00,000 तक) की राशि के परिवाद।
		3(स) राजस्व तहसील मल्हारगढ़ के संपूर्ण थाना क्षेत्र	3. स्तम्भ कमांक 3 (स) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।

–: नोट :–

1. इस कार्य विभाजन/वितरण आदेश में की उपर्युक्त व्यवस्था के बावजूद जिला मंदसौर क्षेत्राधिकारांतर्गत स्थित किसी भी आरक्षी केंद्र या वृत्त के किसी प्रकरण को उचित एवं आवश्यक प्रतीत होने से सुनवाई हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, कार्य

विभाजन/वितरण आदेश में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रतिवेदन/कार्यवाही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जावेगा और उक्त व्यवस्था से अन्यथा कोई भी प्रतिवेदन/कार्यवाही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जावेगा।

2. पूर्व से मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों पर इस कार्य विभाजन/वितरण आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा, किंतु उक्त न्यायालयों में लंबित रिमांड पत्रावलियां इस कार्य विभाजन/वितरण आदेश अनुसार संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय को प्रेषित की जावेंगीं।

3. धारा 164 द.प्र.सं. के अधीन कथनों एवं संस्वीकृतियों को लेखबद्ध करने के लिये अनुसूची–"ब" के अनुसार व्यवस्था रहेगी।

4. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने अथवा स्थानांतरित होने की दशा में अन्य कोई आदेश प्रसारित न किये जाने तक संक्षिप्त विचारण के तहत अभियुक्त की स्वीकारोक्ति पर निराकृत किये जाने योग्य मामले/प्रकरण अनुसूची कमांक–"अ" अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध किये जाने के उपरांत अभियुक्त की स्वीकारोक्ति पर विधि अनुसार निराकृत किये जावेंगे।

5. संक्षिप्त विचारण का अभिलेख तैयार करने के लिये द.प्र.सं. की धारा 265(2) के उपबंधानुसार जिले में पदस्थ प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के निष्पादन लिपिक को नियुक्त किया जाता है।

6. मुख्य न्यायिक मजिस्टेट के अतिरिक्त संक्षिप्त विचारण की शक्तियां प्राप्त समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, भी चलित न्यायालय लगाने जाने बावत् पूर्व सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर अपने–अपने थाना क्षेत्र में समय–समय पर चलित न्यायालय लगा सकेंगे। किंतु न्यायालयीन समय में चलित न्यायालय लगाये जाने हेतु माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्वानुमति प्राप्त करना होगी।

7. यह कार्य विभाजन आदेश विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरणों के संबंध में प्रभावी रहेगा।

8. तहसील मंदसौर एवं तहसील दलोदा के क्षेत्राधिकारिता अंतर्गत दण्ड प्रकिया संहिता के अध्याय 09 की धारा 125 से 128 से संबंधित समस्त भरण पोषण के प्रकरणों (ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर) के संबंध में माननीय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय मंदसौर को अधिकारिता होने से, उक्त प्रकरणों का विचारण/सुनवाई किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया जाएगा।

9. मध्यप्रदेश ग्राम न्यायायल अधिनियम की धारा 16 (1) व (2) के प्रावधानानुसार ग्राम न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता के प्रकरण, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केंद्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में सम्मिलित नहीं माना जावेंगे और ग्राम न्यायालय से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय मंदसौर/भानुपरा द्वारा ही ग्रहण कर सुनवाई में लिये जावेंगें।

10. किशोर न्याय अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले सम्पूर्ण मंदसौर न्यायिक जिले के आपराधिक प्रकरणों को किशोर न्याय बोर्ड, मन्दसौर में प्रस्तुत किये जावेगा।

11. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, मंदसौर के अवकाश पर रहने एवं स्थानांतरण की दशा में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यगण द्वारा किशोर न्याय अधिनियम अनुसार कार्य संपादित किया जावेगा। बोर्ड के दोनों सदस्यगण की अनुपस्थिति की दशा में सर्वप्रथम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही अत्यावश्यक प्रकृति का कार्य संपादित किया जावेगा।

12. जिला न्यायिक स्थापना, मंदसौर एवं तहसील न्यायिक स्थापना गरोठ, भानपुरा, सीतामउ एवं नारायणगढ़ पर पूर्व में कार्यरत रहें एवं वर्तमान में रिक्त किसी भी न्यायालय से संबंधित समस्त कार्यवाहियां (जारी स्थाई गिरफतारी वारंट, अपीलीय न्यायालय के आदेश/निर्देश एवं निर्णय का निष्पादन या अन्य समस्त अनुषाांगिक कार्यवाहियों) और मंदसौर जिले के बाहर के जिलों से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफतारी वारंट संबंधी कार्यवाहियां समस्त मजिस्ट्रेट इस कार्य विभाजन/वितरण आदेश अनुसार अपनी क्षेत्राधिकारिता आरक्षी केंद्र अनुसार कार्य संपादित करेंगे।

13. सार्वजनिक अवकाश दिवसों में नियत रिमांड डयूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। किन्तु आकस्मिकता एवं आपवादिक परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड परिवर्तत/समाप्त कराना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित पारस्परिक सहमति एवं माननीय प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन सहित आवेदन पत्र प्रेषित किये जाने पर उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड डयूटी परिवर्तित की जा सकेगी।

14. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी मजिस्ट्रेट मुख्यालय से बाहर प्रस्थान नहीं करेंगे तथा प्रस्थान पूर्व सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट

को तथा बाह्यवर्ती स्थापना पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट, स्थापना पर पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(आशीष प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मंदसौर (म.प्र.)

अनुमोदित
02.06.2020
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
2.6.2020 मंदसौर